e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2320-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 12, Issue 1, January 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

||e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201020 |

सहकारी बैंकों में कार्यशील पूंजी का महत्व

Dr. Geeta Nai

Assistant Professor, Dept. of Commerce, J.B. Shah Girls P.G. College, Jhunjhunu, Rajasthan, India

सार: भारत में COVID-19 के फैलने और तेजी से हुए उसके प्रसार ने घरेलू इक्विटी, बॉण्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी बिक्री को और भी तीव्र कर दिया। शोधन के तीव्र दबाव के कारण लिखतों पर चलनिधि प्रक्रिया जैसे कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर पर प्रीमियम बढ़ते चले गए। इसके साथ, COVID-19 के फैलने से व्यापार संबंधी गतिविधियाँ कम हो जाने को मिलाकर देखा जाए तो इन लिखतों की वित्तीय स्थिति भी, अन्य बातों के साथ-साथ बैंक क्रेडिट की हालत मंद हो जाने की स्थिति में कार्यशील पूंजी को एक्सेस कर पाना भी कठिन हो गया। आर्थिक गतिविधियों पर इनके प्रतिकूल प्रभावों, जिससे नकदी प्रभावों पर दबाव पड़ता है, को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि रिज़र्व बैंक उपयुक्त आकार के लक्ष्य किए गए तीन वर्ष तक के सावधि रेपो की नीलामियाँ करेगा जिसकी कुल राशि 1,00,000 करोड़ रुपए होगी और जो नीतिगत रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर आधारित होगी।बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई चलनिधि को निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर में लगाना होगा जो 27 मार्च 2020 को उनके द्वारा इन बॉण्डों में किए जाने वाले निवेश के बकाया स्तर के अतिरिक्त होगा। बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पात्र लिखतों की अपनी वृद्धिशील धारिता का पचास प्रतिशत तक प्राथमिक बाज़ार के निर्गमों से प्राप्त करें और शेष पचास प्रतिशत म्यूचुअल फ़ंड एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित द्वितीयक बाजार से प्राप्त करें। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएफ़) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही एचटीएफ़ पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कुल अनुमत निवेश 25 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए एक्सपोजर की गणना बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अधीन नहीं की जाएगी।

परिचय

बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि प्रचूरता से बनी रहेगी जैसाकि 1 से 25 मार्च 2020 के दौरान दैनिक औसत आधार पर 2.86 लाख करोड़ रुपए एलएएफ़ रिवर्स रेपो परिचालन के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष को अवशोषित करने से परिलक्षित होता है। लेकिन यह पाया गया है कि चलनिधि का यह वितरण संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक असमान है और वह भी स्पष्टतया बैंकिंग प्रणाली के भीतर है।COVID-19 से उत्पन्न बाधाओं के कारण तंगहाली में पड़े बैंकों की एकबारगी सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि (सीआरआर) को 28 मार्च 2020 को प्रारंभ रिपोर्टिंग पखवाड़े से 100 आधार अंक कम कर के निवल माँग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया जाए। सीआरआर में की गई इस कमी से संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक चलनिधि आ जाएगी जो घटकों की अतिरिक्त एसएलआर की धारिता के सापेक्ष न हो कर उनकी देयताओं के अनुपात में होगी।[1,2] यह छूट 26 मार्च 2021 को समाप्त एक वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त, स्टाफ की सामाजिक दूरी की वजह से बैंकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके फलस्वरूप रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से प्रभावी न्यूनतम दैनिक सीआरआर की अपेक्षा को घटाकर 90 से 80 प्रतिशत कर दिया जाए। यह छूट एकबारगी रूप में 26 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत बैंक, अपने विवेक पर संविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से 2 प्रतिशत तक ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। घरेलू वित्तीय बजार में अपवाद रूप से अत्यधिक अस्थिरता की हालत ने चलनिधि पर चरणबद्ध रूप से दबाव पैदा कर दिया है, बैंकिंग प्राणली को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सीमा को तत्काल प्रभाव से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाए। यह उपाय 30 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगा। इसके पीछे मंशा यह है कि मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में घोषित एमएसएफ़ की घटी हुई दर पर दबाव की हालत में बैंकिंग प्रणाली को एलएएफ़ विंडो के अंतर्गत 1,37,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएँ ताकि उसमें सहजता पैदा हो।टीएलटीआरओ, सीआरआर और एमएसएफ़ इन तीनों उपायों से प्रणालियों में कुल 3.74 लाख करोड़ रुपए की चलनिधि आ जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि लगातार बनी हुई अधिशेष चलनिधि की

||e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201020 |

स्थिति में वर्तमान नीतिगत कॉरिडॉर को 50 आधार अंक से बढ़ा कर 65 आधार अंक कर दिया जाए । इस नए कॉरिडॉर के अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 40 आधार अंक होगी जो नीतिगत रेपो दर से कम होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) 25 आधार अंक पर नीतिगत रेपो दर से अधिक बनी रहेगी। चलनिधि संबंधी उपायों के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि COVID-19 महामारी के संकट के कारण उत्पन्न बाधाओं की वजह से कर्ज चुकाने के बोझ को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस प्रकार के प्रयासों से वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के प्रसार पर रोक लगेगी और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कारोबार फायदेमंद तरीके से चलते रहें और ऐसी कठिन घड़ी में उधारकर्ताओं को राहत मिल सके।[3,4] सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं तथा एनबीएफ़सी (आवास वित्त कंपनी तथा माइक्रो वित्त कंपनी सहित) ("उधारदाता संस्थाएं") को अनुमति दी जाती है कि वे 1 मार्च 2020 को बकाया सभी मीयादी ऋणों पर किश्तों के भुगतान पर तीन महीने के स्थगन की अनुमति प्रदान करें। तदनुसार, चुकौती के सभी शैड्यूल तथा बाद की सभी देय तारीखें, तथा इस प्रकार के ऋणों की अवधि सभी स्तरों पर तीन महीने के लिए आगे बढ़ जाएगी। उधार देने वाली संस्थाओं को यह अनुमति दी जाती है कि कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट के संबंध में 1 मार्च 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के लिए ब्याज के भुगतान की तारीख तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दें। इस अवधि के लिए संचित ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा।

उपर्युक्त पैरा 5 और 6 के संबंध में, स्थगन/ आस्थगन की सुविधा विशेष रूप से इसलिए प्रदान की जा रही है, ताकि उधारकर्ता COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपट सकें। अतः इसे उधारकर्ताओं की वित्तीय परेशानी के कारण ऋण हेतु किए गए करार की शर्तों में परिवर्तन नहीं माना जाएगा और फलस्वरूप आस्तियों का निम्न श्रेणी में वर्गीकरण नहीं करना होगा। उधारदाता संस्थाएं इस संबंध में तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति कार्यान्वित कर सकते हैं। कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधा के संबंध में उधारदाता संस्थाएं आहरण- शक्ति की पुनःगणना मार्जिन कम करते हुए और/ अथवा उधारकर्ता के लिए कार्यशील पूंजी के चक्र का पुनर्मूल्यांकन करते हुए करें। विशेष रूप से COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए उधारकर्ताओं को क्रेडिट–शर्तों में बदलाव करने हेतु दी गई अनुमति को उनकी वित्तीय कठिनाई के कारण प्रदान की गई रियायत नहीं माना जाएगा और फलस्वरूप आस्तियों का वर्गीकरण निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा।पैरा 5, 6 और 7 के संबंध में भुगतान के पुनर्निर्धारण को पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग के प्रयोजन से तथा (सीआईसी) उधारदाता संस्थाओं द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग के प्रयोजन से चूक नहीं माना जाएगा। सीआईसी यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त घोषणा के अनुसरण में उधारदाता संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई का लाभार्थियों के क्रेडिट-इतिहास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में किए गए सुधारों के एक हिस्से के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसेल समिति (बीसीबीएस) ने निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) की शुरुआत की थी, जो भविष्य के वित्तपोषण तनाव के जोखिम को कम करने के लिए एक वर्ष के समय क्षितिज पर वित्तपोषण के पर्याप्त स्थायी स्रोतों से बैंकों के कार्यकलाप को वित्त पोषित कर बैंकों की आवश्यकता के हिसाब से जोखिम को कम करता है। निर्धारित समयावधि के अनुसार, भारत में बैंकों को 1 अप्रैल 2020 से एनएसएफआर को 100 प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता थी। अब 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने तक एनएसएफआर के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।[5,6]

विचार-विमर्श

पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय के दौरान (यानी, तनाव के समय के बाहर) पूंजीगत बफर का निर्माण करें, जिन्हें एक तनावग्रस्त अवधि के दौरान होने वाले नुकसान के लिए निकाला जा सकता है। बेसल मानकों के अनुसार, सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के ट्रैंच में लागू किया जाना था और 2.5 प्रतिशत के पूर्ण सीसीबी में परिवर्तन 31 मार्च 2019 तक पूरा होना तय था। बाद में 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। COVID-19 के कारण संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, अतिरिक्त टियर 1 लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण / राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित ट्रिगर जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। वित्तीय बाजारों के संबंध में निर्णय अनिवार्य रूप से एक विकासात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य और ओनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच मध्यस्थता को कम करके विदेशी मुद्रा बाजार क्षेत्रों में गहनता और मूल्य खोज में सुधार करना है। यह उपाय मुद्रा बाजारों पर COVID-19 के प्रभाव के कारण रुपये की बढ़ी हुई अस्थिरता के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है। ऑफशोर भारतीय रुपया (आईएनआर) डेरिवेटिव बाजार - गैर-सुपुर्द वायदा (एनडीएफ़) बाजार हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहा है।

||e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201020 |

वर्तमान में, भारतीय बैंकों को इस बाजार में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हालांकि एनडीएफ बाजार में उनकी भागीदारी के लाभों को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। मुद्दे के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की गई है और आरबीआई में एक आम सहमति बन गई है कि यह समय ओनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच विभाजन को हटाने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के परामर्श से, 1 जून 2020 से एनडीएफ़ बाजार में भाग लेने की अनुमति भारत में उन बैंकों को दी जाए जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को परिचालित करते हैं। बैंक भारत में अपनी शाखाओं, अपनी विदेशी शाखाओं या अपने आईबीयू के माध्यम से भाग ले सकते हैं। आज अंतिम निर्देश जारी किए जा रहे हैं।[7]

नाबार्ड के मुख्यतः तीन कार्यक्षेत्र हैं - वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षी - जिनके माध्यम से वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू में योगदान कर रहा है. इनके अंतर्गत उसके विभिन्न दायित्व हैं - पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, जिला स्तरीय ऋण योजनाएँ तैयार करना, बैंकिंग उद्योग को ऋण वितरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश देना और प्रेरित करना, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करना और श्रेष्ठ बैंकिंग पद्धतियाँ विकसित करने में उनकी मदद करना तथा उन्हें सीबीएस प्रणाली में शामिल होने में सहायता देना, ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएँ तैयार करना, भारत सरकार की विकास योजनाएँ कार्यान्वित करना, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के मंच उपलब्ध कराना. नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए बैंकों को क्रमशः ₹1,30,964 करोड़ और ₹92,786 करोड़ संवितरित किए.

नाबार्ड पुनर्वित्त के माध्यम से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उत्पादन, विपणन और अधिप्रापण गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त के रूप में ऋण और अग्रिम प्रदान करता है. इसकी चुकौती मांग किए जाने पर अथवा निर्धारित अवधि (अधिकतम 12 महीने) की समाप्ति पर की जाती है. अल्पावधि पुनर्वित्त प्रावधान का मूल प्रयोजन बैंकों के संसाधनों में वृद्धि करना और आधार स्तरीय ऋण प्रवाह को बेहतर करना है.

नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है ताकि किसानों और ग्रामीण कारीगरों आदि की निवेश संबंधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया जा सकें. वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को फसल उत्पादन के लिए फसल ऋण दिए जाते हैं जिससे देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है. वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए ₹95,731 करोड़ और मौसमी कृषि परिचालनों से इतर परिचालनों के लिए ₹11,733 करोड़ संवितरित किए.[8]

नाबार्ड ने लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) को सहायता देने के लिए एक नई सुविधा भी आरंभ की है और इस सुविधा के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) को ₹49 करोड़ की अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई. नाबार्ड की दीर्घावधि पुनर्वित्त व्यवस्था के तहत वित्तीय संस्थाओं को कृषि और कृषीतर क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अवधि 18 माह से 5 से अधिक वर्ष तक होती है. वर्ष 2020-21 के दौरान, नाबार्ड ने वित्तीय संस्थाओं को ₹92,786 करोड़ की राशि संवितरित की.

कोविड के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रवासन के मुद्दे का समाधान करने और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने 4 विशेष पुनर्वित्त योजनाओं नामतः एमएससी के रूप में पैक्स के लिए योजना, वाटरशेड साथ ही वाडी परियोजना क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए योजना, जल, स्वच्छता और आरोग्य (वॉश) के लिए योजना और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए योजना का आरंभ किया.

नाबार्ड ने विशेष रूप से सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)के लिए कृषि गतिविधियों में निवेश ऋण के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने नाबार्ड में एलटीआरसीएफ़ की स्थापना की. लॉकडाउनके दौरान किसानों को फसल कटाई और उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए अबाधित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को ₹16800 करोड़, क्षेग्रा बैंकों को ₹6700 करोड़ और एनबीएफ़सी-एमएफ़आई को ₹2000 करोड़ की राशि संवितरित की जिसकी वजह से भारत ने लॉकडाउन के दौरान भी कृषि उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. नाबार्ड ने ₹500 करोड़ से कम आस्तियों वाले एनबीएफ़सी-एमएफ़आई को ₹1567 करोड़ की अतिरिक्त विशेष चलनिधि सहायता (एसएलएफ़) प्रदान की. कोविड-19 महामारी के कारण जिन रासकृग्रावि बैंकों को चलनिधि की कमी का सामना करना पड़ा उन पात्र रासकृग्रावि बैंकों को एसएलएफ़ प्रदान की गई थी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस ऋण सुविधा के

||e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201020 |

अंतर्गत 5 राज्यों में रासकृग्रावि बैंकों को ₹908.16 करोड़ की राशि संवितरित की गई. भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण की परियोजनाओं में सहायता के लिए वर्ष 1995- 96 में नाबार्ड में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना की थी जिसका स्रोत था अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य में कमी की राशि. इसके तहत नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान ₹29,193 करोड़ की राशि संवितरित की. आज देश में ग्रामीण आधारभूत संरचना हेतु निधीयन में आरआईडीएफ बहुत बड़ा योगदान है. दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) की घोषणा 2016-17 के केंद्रीय बजट में की गई थी. इसका प्रयोजन था दिसंबर 2019 तक 18 राज्यों की 99 चयनित मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक अभियान चलाकर तेजी से पूरा करना. इसके बाद भारत सरकार ने एलटीआईएफ के तहत चार अन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण का अनुमोदन किया है, नामत: - आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना, बिहार और झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना, पंजाब की सरहिंद और राजस्थान फीडर रीलाइनिंग परियोजना, पंजाब में शाहपुर कंडी बांध परियोजना. इन परियोजनाओं के समन्वय और उन्हें पूरा करने में सहयोग प्रदान करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) को नोडल मंत्रालय बनाया गया है. दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2021 तक अथवा योजना को जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है जो भी पहले हो उस अवधि तक भारत सरकार ने एलटीआईएफ़ के अंतर्गत निधीयन की व्यवस्था को अनुमोदन प्रदान किया है. वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2,461.84 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹7761.20 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ़ के अंतर्गत संचयी रूप से ₹84,326.60 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹52,479.71 करोड़ की राशि जारी की गई.भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने की अवधि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है.[7]

परिणाम

2020-21 के दौरान नाबार्ड ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) को ₹20,000 करोड़ की राशि मंजूर की तथा ₹19,999.80 करोड़ की राशि संवितरित की. 31 मार्च 2021 की स्थिति में एनआरआईडीए को मंजूर संचयी राशि ₹61,975 करोड़ थी जिसमें से ₹48,819.03 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है. यह वित्तीय सहायता पीएमएवाई-जी के तहत प्रदान की गई है जिसका उद्देश्य है वर्ष 2022 तक कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले लोगों सहित सभी बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध करवाना. 2019-20 से नाबार्ड में ₹5,000 करोड़ की समूह निधि के साथ सूक्ष्म सिंचाई निधि संचालित की गई. इस निधि का उद्देश्य राज्य सरकारों को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अधिकाधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में सहायता करना और पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के प्रावधानों के दायरे से बाहर किए गए काम को प्रोत्साहित करना है. इस कार्य के लिए नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए और एफ़डबल्यू), भारत सरकार है. नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान एमआईएफ़ के अंतर्गत ₹1,128.60 करोड़ की राशि मंजूर की और ₹1,827.47 करोड़ की राशि जारी की. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से ₹3,970.17 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹1,827.47 करोड़ की राशि जारी की गई. नाबार्ड आधारभूत संरचना सहायता (नीडा) के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सुप्रबंधित संस्थाओं को लचीला दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है. कृषि आधारभूत संरचना, ग्रामीण कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत संचार, पेयजल और स्वच्छता, और अन्य सामाजिक और वाणिज्यिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं को नीडा के तहत वित्तपोषित किया जाता है. कॉरपोरेट्स/ कंपनियों, सहकारी संस्थाओं जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं और गैर-पीपीपी परियोजनाओं को शामिल करने से नीडा के तहत वित्तपोषण का दायरा और व्यापक हो गया है. नीडा के तहत वित्तपोषण के विषय क्षेत्र में राज्य सरकारों को ऑफ-बजट और ऑन-बजट उधार देनल शामिल है जिससे राज्य सरकारों की बजट संबंधी बाध्यताएं कम हो जाती हैं.

वर्ष 2020-21 के दौरान, नीडा के तहत 19 ऋण प्रस्तावों के माध्यम से ₹22,767.75 करोड़ के सावधि ऋण को मंजूरी दी गई जिसमें 08 सिंचाई परियोजनाओं (60.9% ₹13,864.98 करोड़), 4 पेयजल परियोजनाओं (21.66%, ₹4,931.52 करोड़), 03 संचार परियोजनाओं (3.93%, ₹893.68 करोड़) और ग्रामीण कनेक्टिविटी (5.09%, ₹1158.53 करोड़), ग्रामीण आवासन (3.48%, ₹792.44 करोड़), मल-निकास (0.28%, ₹64.87 करोड़) और संचार व्यवस्था क्षेत्र (4.06%, ₹1061.73 करोड़) प्रत्येक के लिए 1 परियोजना को शामिल किया गया था.[5,6]

||e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201020 |

नीडा के तहत विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र	
सिंचाई	13,83,013 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल
सूक्ष्म सिंचाई	1,39,000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल
नवीकरणीय ऊर्जा	113 मेगावाट शक्ति क्षमता निर्मित
विद्युत संचार	संचार आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण में सहयोग प्रदान करने के लिए 15 राज्यों में 52 परियोजनाएँ
ग्रामीण संपर्क (कनेक्टिविटी)	7,410 किलोमीटर लंबी सड़क और 7.93 किलोमीटर लंबा पुल निर्मित
पेयजल की आपूर्ति	31,722 परिवारों को उनके घर तक जल की आपूर्ति की गई.
भंडारण और शीट भंडारण क्षमता	29,600 मीट्रिक टन क्षमता निर्मित
स्वच्छता	प्रतिदिन 15 मिलियन लीटर की क्षमता वाली मल-निकास उपचार सुविधा के साथ-साथ मल-निकास प्रणाली का निर्माण
संचार-व्यवस्था	30,000 से अधिक सरकारी कार्यालयों को जोड़ने के लिए नेटवर्क 20 लाख परिवारों के लिए निःशुल्क इन्टरनेट की व्यवस्था

नाबार्ड जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण वितरण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता की संकल्पना एक अतिरिक्त ऋण सुविधा के रूप में की गई थी ताकि वे ऋण वितरण में विविधीकरण कर सकें और लाभ अर्जक पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकें. यह ऋण सीमा सुशासित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को मंजूर की जाती है जिन्हें नाबार्ड के नवीनतम निरीक्षण में 'ए' या 'बी' श्रेणी प्राप्त हो. ऋण के पात्र प्रयोजनों में कार्यशील पूंजी, कृषि उपकरणों तथा अन्य उत्पादक आस्तियों की मरम्मत, उत्पाद का भंडारण/ ग्रेडिंग/ पैकेजिंग, विपणन गतिविधियां, कृषीतर गतिविधियां आदि शामिल हैं. यह सीमा नकद ऋण की प्रकृति की होती है जो मंजूरी की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में रहती है. यह सीमा बैंकों की विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए 3 माह की अवधि के लिए भी उपलब्ध रहती है.[3,4]

वर्ष 2020-21 के दौरान, डीआरए के तहत की गई मंजूरियों में 33% की वृद्धि दर्ज की गई अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹8,932 करोड़ की राशि के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹11,890 करोड़ की राशि मंजूर की गई. डीआरए के तहत संवितरणों में 20% की कमी आई अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹9,200 करोड़ के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹7,373.49 करोड़ का संवितरण किया गया.

||e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201020 |

निष्कर्ष

बैंकिंग सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करने तथा आधार स्तर पर पर भुगतान/ स्वीकरण की आधारभूत संरचनाओं की स्थापना के फलस्वरूप 31 मार्च 2021 तक वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के तहत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए संचयी मंजूरियों की राशि ₹4,592.81 करोड़ तथा संवितरण की राशि ₹2,527.67 करोड़ थी. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मांग और पूर्ति में अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भिन्नताओं को दूर करने तथा पूरे देश में समुचित और समावेशी वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए 2019 से एक विभेदीकृत रणनीति अपनाई गई. इसके तहत 358 विशेष फोकस वाले जिलों में 90% की बढ़ी हुई दर से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई. इन विशेष फोकस जिलों में आकांक्षी जिले, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले, ऋण की कमी वाले जिले, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित जिले शामिल हैं. नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) शुरू किया था. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इसमें लगभग 112.23 लाख स्वयं सहायता समूह और देश के लगभग 13.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों का सशक्तीकरण किया गया. लगभग 28.87 लाख समूहों ने 2020-21 के दौरान विभिन्न बैंकों से ₹58070 करोड़ की ऋण सहायता प्राप्त की जिससे प्रति समूह औसत ऋण ₹2.01 लाख हो गया है. 2020-21 के दौरान बैंकों द्वारा 41.30 लाख संयुक्त देयता समूहों का संवर्धन और वित्तपोषण किया गया. बैंकिंग सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करने तथा आधार स्तर पर पर भुगतान/ स्वीकरण की आधारभूत संरचनाओं की स्थापना के फलस्वरूप 31 मार्च 2021 तक वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के तहत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए संचयी मंजूरियों की राशि ₹4,592.81 करोड़ तथा संवितरण की राशि ₹2,527.67 करोड़ थी. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मांग और पूर्ति में अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भिन्नताओं को दूर करने तथा पूरे देश में समुचित और समावेशी वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए 2019 से एक विभेदीकृत रणनीति अपनाई गई. इसके तहत 358 विशेष फोकस वाले जिलों में 90% की बढ़ी हुई दर से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई. इन विशेष फोकस जिलों में आकांक्षी जिले, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले, ऋण की कमी वाले जिले, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित जिले शामिल हैं.[8]

संदर्भ

1. संयुक्त उपनिवेश ट्रस्ट लिमिटेड v किर्क्रूद, 1966, अंग्रेजी न्यायालय अपील, 2 QB 431
2. ↑ (बैंकिंग अध्यादेश, धारा 2, व्याख्या, हांगकांग) ध्यान दें कि इस मामले में परिभाषा महीने में किसी भी जमा प्रतिदेय स्वीकार शामिल करने के लिए ३ महीने से कम के लिए बढ़ाया है, अधिक से अधिक 3 महीने की अवधि के लिए एच के से $ 100 ००० से अधिक की जमा स्वीकार कंपनियां के रूप में विनियमित कर रहे हैं जमा ले जा रही कंपनियां (deposit taking companies) बल्कि बैंकों के रूप में हांगकांग में) से अधिक है
3. ↑ न्यूजीलैंड, AL Tyree, LexisNexis 2003, पृष्ठ 70 में Tyree है बैंकिंग विधि उदा.
4. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 फ़रवरी 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 फ़रवरी 2009.
5. भारत में कार्यरत बैंकों की सूची
6. भारत का आर्थिक इतिहास
7. ↑ http://www.euromoney.com/poll/2050/PollsAndAwards/Bank-atlas-The-worlds-largest-banks.htmlEuromoney बैंक एटलस: इस दुनिया के सबसे बड़े बैंकों.शेयरधारक इक्विटी, 2008 तक विश्व के दस सबसे बड़े बैंकों की सूची
8. ↑ "ज्ञान, सबसे मूल्यवान अमूर्त" द्वारा अंजू भार्गव (Anju Bhargava). RMA जर्नल, जून 2001

INNO SPACE

SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor: 8.118

doi crossref

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

Scan to save the contact details